# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

| | | |
|---|---|---|
| प्रकरण संख्या<br>166 / 2024 | दायर दिनांक<br>29.04.2024 | निर्णय दिनांक<br>10.06.2024 |

उनवान

1. आशा पत्नी अजय मेहता आयु वयस्क निवासी आजाद नगर भीलवाड़ा मकान नं0 डी 425 आजाद नगर भीलवाड़ा राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. खाजुमोहम्मद पिता इब्राहीम मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. लियाकतअली पिता इब्राहीम मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. कलसुम पिता अब्दुल मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. जैतून पिता अब्दुल इब्राहीम मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. बशीरन पिता अब्दुल इब्राहीम मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. मुरादअली पिता अब्दुल इब्राहीम मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. महरून पिता अब्दुल इब्राहीम मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. रमजी पिता अब्दुल इब्राहीम मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. अनवर हुसेन पिता अब्दुलहकिम इब्राहीम मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. रूस्सतम पिता नष्शे खां जाति मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. अब्दुल हुसेन पिता नष्शे खां जाति मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. कमरूदीन पिता नष्शे खां जाति मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. जन्नतबानू पिता नष्शे खां जाति मुसलभान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
14. जमालुदीन पिता नष्शे खां जाति मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
15. जमीला बानू पत्नी स्व0 अब्दुलहकिम जाति मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
16. मोहम्मद उमर पिता स्व0 अब्दुलहकिम जाति मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
17. मोहम्मद हनीफ पिता स्व0 अब्दुलहकिम जाति मुसलमान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
18. अकीला पिता मुनीरखां जाति पठान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
19. अशरफ खान पिता मुनीरखां जाति पठान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
20. खातून बेगम पत्नी मुनीरखां जाति पठान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
21. यास्मीन पत्नी मुनीरखां जाति पठान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
22. रजिया पिता मुनीरखां जाति पठान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

Alad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

23.सईद खान पिता मुनीरखां जाति पठान निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
24 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

—विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी मांगीलाल सेन
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 23 उपस्थित नहीं

## —: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069—2073 के खाता संख्या 487 की अभिलिखित आराजियात 5880 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीया खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीया वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 23 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा पुर प0ह0 पुर प्रथम भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069—2073 के खाता संख्या 487 की अभिलिखित आराजियात 5880 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000—00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिंश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किंया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा